प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 28 अप्रैल, 2020***

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी परविन्दर पुत्र श्री कुवंरपाल, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-35064/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-19.09.2019) दिनांक-03.12.2019 कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी परविन्दर पुत्र श्री कुवंरपाल जो ग्राम फहीमपुर, थाना-सिखेड़ा, जनपद-मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। पुराने प्रापर्टी विवाद में आनन्द पाल की हत्या में 09 लोगों के विरूद्ध मुकदमा चला। दिनांक 12.01.2000 को उक्त मुकदमें के निर्णय से वापसी करते समय बंदी ने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, रायफल, रिवाल्वर, देशी कट्टे से गोली मारकर राजपाल, पदम सिंह जयवीर सिंह, प्रेम सिंह, अशोक, सोनू, राकेश और प्रेमपाल सहित कुल 08 व्यक्तियों की हत्या कर दी एवं 05 अन्य लोगों को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-344/2000 भा0द0सं0 की धारा-302/149, 452, 148 के अन्तर्गत मा0 स्पेशल जज (ई0सी0एक्ट) मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 18.05.2002 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 25.11.2003 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को यथावत रखा गया। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.04.2004 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को लघुकृत करते हुए आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नही होने, जमानत/पैरोल पर छूटने के बाद कोई भी अपराध कारित कर सकने, ग्राम/समाज में शान्ति बनाये रखने हेतु निरूद्ध रखना आवश्यक होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पुराने प्रापर्टी विवाद में बंदी ने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, रायफल, रिवाल्वर, देशी कट्टे से गोली मारकर राजपाल, पदम सिंह जयवीर सिंह, प्रेम सिंह, अशोक, सोनू, राकेश और प्रेमपाल सहित कुल 08

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

व्यक्तियों की हत्या करने एवं 05 अन्य लोगों को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अपराध करने में अशक्त न होने, का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी परविन्दर पुत्र श्री कुवंरपाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी परविन्दर (बन्दी संख्या-14899) पुत्र श्री कुवंरपाल, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-132/2020/3016(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-मुजफ्फरनगर।
2- अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-132/2020/3016/22-2-2019-17(1174)/2019

दिनांक 28 अप्रैल, 2020 का संलग्नक

सरकार के आदेश

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी परविन्दर पुत्र श्री कुवंरपाल जो ग्राम फहीमपुर, थाना-सिखेड़ा, जनपद-मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। पुराने प्रापर्टी विवाद में आनन्द पाल की हत्या में 09 लोगों के विरूद्ध मुकदमा चला। दिनांक 12.01.2000 को उक्त मुकदमें के निर्णय से वापसी करते समय बंदी ने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, रायफल, रिवाल्वर, देशी कट्टे से गोली मारकर राजपाल, पदम सिंह जयवीर सिंह, प्रेम सिंह, अशोक, सोनू, राकेश और प्रेमपाल सहित कुल 08 व्यक्तियों की हत्या कर दी एवं 05 अन्य लोगों को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-344/2000 भा0द0सं0 की धारा-302/149, 452, 148 के अन्तर्गत मा0 स्पेशल जज (ई0सी0एक्ट) मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 18.05.2002 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 25.11.2003 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को यथावत रखा गया। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.04.2004 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को लघुकृत करते हुए आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नही होने, जमानत/पैरोल पर छूटने के बाद कोई भी अपराध कारित कर सकने, ग्राम/समाज में शान्ति बनाये रखने हेतु निरूद्ध रखना आवश्यक होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पुराने प्रापर्टी विवाद में बंदी ने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, रायफल, रिवाल्वर, देशी कट्टे से गोली मारकर राजपाल, पदम सिंह जयवीर सिंह, प्रेम सिंह, अशोक, सोनू, राकेश और प्रेमपाल सहित कुल 08 व्यक्तियों की हत्या करने एवं 05 अन्य लोगों को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अपराध करने में अशक्त न होने, का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी परविन्दर पुत्र श्री कुवंरपाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in